न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।

नामांतरण अपील वाद संख्या– 07 / 2020–2021
रकिबा बेगम बनाम् झारखण्ड सरकार

आदेश

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
13/08/21	अभिलेख उपस्थापित। इस अपील वाद की कार्यवाई अपीलार्थी द्वारा दाखिल आवेदन जो अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण वाद सं0 18 R27/2020-2021 की कार्यवाई में दिनांक 28.11.20 को पारीत आदेश है, के विरूध दाखिल के आधार पर इस –न्यायालय में प्रारंभ किया गया है। अंचल आधकारी रंका से उक्त नामांतरण वाद का अभिलेख की मांग की गई थी जो दिनांक 27.03.2021 को प्राप्त है। प्रथम पक्ष द्वारा लिखित जबाब दाखिल किया गया है, तथा प्रपमपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क भी प्रस्तुत किया गया है। प्रपमपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी रकिबा बेगम पति अब्दुल हकिम द्वारा निबंधित केवाला सं0– 2444 से इस अपीलवाद में अंकित भूमि क्रय किया गया। जिसके दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी रंका को 31.08.2018 को आवेदन दिया गया, जिस पर नामांतरण मुकदमा सं0– 18 आर 27 / 2020–2021 प्रारंभ हुआ। जिसे अंचल अधिकारी रंका द्वारा दिनांक 28.11.2020 को खारीज नियम विरूद्व कर दिया गया, जबकि उक्त नमांतरण वाद कि कार्यवाई मे राजस्व कर्मचारी व अंचल ने लिखा कि क्रय की गई भूमि का मांग विक्रेता के पिता के नाम से सम्मीलात में चलता है। विक्रेता ने अपने जोत हिस्सा कि भूमि विक्री किया है, क्रय कि गई भूमि पर क्रेता का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, उक्त भूमि भूहदबंदी एवं सार्वजनिक उपयोग तथा सी0 एन0 टी0 एक्ट से मुक्त है। अतः क्रेता के नाम से नमांतरण की स्वीकृति दी जा सकती है। परन्तु अंचल अधिकारी ने यह लिखते हुए खरीज कर दिया की उक्त भूमि कि मांग 13 लोगो के नाम से सम्मीलात चलता है, लेकिन यह गौर नही किया की विक्रेता पिता के नामे मांग चलती है, और उक्त मांग धारी आलम अंसारी के स्वर्गवास भी हो चुका है। विक्रेता कैमुल अंसारी उसके वारीस है वे इस भूमि को कानूनन विक्री कर सकते है। यह भी कि स्थल पर दखल कब्जा क्रेता जो अपीलार्थी का है तथा पहले भी बिकेता का जामत था। स्पष्ट उसी अंचल अधिकारी के नामांतरण के अभिलेख से होता है। अंचल अधिकारी के उक्त गलत आदेश को निरस्त किया जाय, एवं अपीलार्थी के नामें नामंतरण की स्वीकृति प्रदान कि जाए, का निवेदन अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष करते है। इस अपील वाद में संलग्न दस्तावेजों, निम्न न्यायालय अभिलेख, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर गौर करने के उपरोक्त ज्ञात होता है कि इस अपील वाद मे अंकित भूमि ग्राम– मानपुर के खाता सं0– 66 पुराना, 62 नया, प्लौट सं0 649 पुराना 1658– नया रकबा 0.07$\frac{1}{2}$ए0 उ0 नीज विक्रेता द0 निमाजी अंसारी पु0 नीज विकेता प0 रेयाज मिया एवं प्लौट सं0 675 पुराना 1495 नया रकबा 0.11$\frac{1}{4}$ए0 उ0 सैदुल मिया द0 निमाजी अंसारी पु0 सैदुल मिया प0 निमाजी अंसारी है, को कैमुल अंसारी वल्द स्व0 आलम अंसारी (मिया) से अपीलार्थी रकिबा बेगम ने क्रय किया है। जिसका नामांतरण अंचल अधिकारी, रंका द्वारा दिनांक 28.11.2020 को कर दिया गया। जबकि इसी अभिलेख मे यह भी आता है कि इस भूमि पर क्रेता जो अभिलार्थी है का दखल कब्जा है एवं विक्रेता ने अपने जोत की भूमि विक्री किया है। जिसका मांग इसके पिता के नामें चलता है जिसका स्वर्गवास भी हो गया है। इस तरह अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण वाद सं0 18 आर 27 / 2020–21 में दिनांक 28.11.2020 को पारीत आदेश उचित नही है अपितु अपिल स्वीकृत किया जाता है एवं इस अपील वाद मे अंकित भूमि का नामांतरण अपिलार्थी रकिबा बीबी के नाम करने की स्वीकृति जाती है अंचल अधिकारी रंका को आदेश की प्रति अनुपालनार्थ भेजे। उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।	

Digitally signed by PARMESHKUSHWAHA
Date: 2023.11.26 15:55:38 +05:30
Location: 192.168.238.59